उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

फतेहगढ़ पुलिस

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना मेरापुर

दिनांक - 05.11.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1.बब्लू उर्फ अनिल पुत्र पातीराम 2. बब्लू पुत्र वेदपाल निवासीगण दुल्लामई थाना मेरापुर जनपद फतेहगढ़ विरुद्ध मु0अ0स0-24/2007 वाद संख्या 430/2007 धारा 302/34 भादवि0 थाना मेरापुर जनपद फतेहगढ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण के विरूद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार / कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए **मा0 न्यायालय एडीजे-01 कोर्ट द्वारा दिनांक 05.11.2026 को दोषसिद्ध कर अभियुक्तगण को आजीवन कारावास की सजा व 30,000/- 30,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**



एडीजीसी - श्री हरिनाथ सिंह



एडीजीसी - श्री संजीब कुमार पाल



को0 मो0 -हे0का0 अजय कुमार



पैरोकार - हे0का0 श्याम जी

फतेहगढ़ पुलिस

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना मेरापुर

दिनांक - 05.11.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1.कैलाश पुत्र स्व0 उल्फत 2.नरेश चन्द्र पुत्र स्व0 सोनपल निवासीगण दुल्लामई थाना मेरापुर जनपद फतेहगढ़ विरुद्ध मु0अ0स0-24A/2007 वाद संख्या 456/2007 धारा 302/34 भादवि0 थाना मेरापुर जनपद फतेहगढ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण के विरूद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार / कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए **मा0 न्यायालय एडीजे-01 कोर्ट द्वारा दिनांक 05.11.2026 को दोषसिद्ध कर अभियुक्तगण को आजीवन कारावास की सजा व 30,000/- 30,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**



एडीजीसी - श्री हरिनाथ सिंह



एडीजीसी - श्री संजीव कुमार पाल



को0 मो0 -हे0का0 अजय कुमार



पैरोकार - हे0का0 श्याम जी

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

फतेहगढ़ पुलिस

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना मेरापुर

दिनांक - 05.11.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त बब्लू पुत्र वेदपाल निवासी दुल्लामई दुल्लामई थाना मेरापुर जनपद फतेहगढ़ विरुद्ध मु0अ0स0-28/2007 वाद संख्या 459/2007 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना मेरापुर जनपद फतेहगढ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरूद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार / कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए **मा0 न्यायालय एडीजे-01 कोर्ट द्वारा दिनांक 05.11.2026 को दोषसिद्ध कर अभियुक्त को 03 वर्ष के कारावास की सजा व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**



एडीजीसी - श्री हरिनाथ सिंह



एडीजीसी - श्री संजीव कुमार पाल



को0 मो0 -हे0का0 अजय कुमार



पैरोकार - हे0का0 श्याम जी